

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(36)नविवि/एन.ए.एच.पी/2014पार्ट

जयपुर, दिनांक :- 19 JAN 2021

आदेश

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.01.2020 के द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 में जोड़े गये नवीन 'प्रावधान-3सी' को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

"Provision-3C : Development of EWS/LIG Plots/ Houses by Private Developer/ ULB's on their own land (Plotted Development in format of Developed plots and units upto G+1 floor)"

3 सी के तकनीकी एवं अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक(एन.सी.आर), राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
11. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम